तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	16/07/18 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 23/07/18 को पेश हो। प्रार्थी सं. 1 का जवाब T.I. श्री हेमराज भावरिया एड. ने पेश किया जो शा. प. किया (हस्ताक्षर)
23/07/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 27/07/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
27/07/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 30/07/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
30/7/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 1/8/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
01/08/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप. अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही दिनांक 03/08/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
03/08/18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप.। प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा एड. ने पूर्व दिनांक 01/08/18 को जवाब T.I. पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी को जवाब T.I. की नकल दिलवाई गई। चूंकि सभी अप्रार्थीगण का जवाब आ चुका है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06/09/18 को पेश हो। पुनश्च: प्रार्थना-पत्र टी. आई. पे बहस वकलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रा० पत्र में

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)
सत्यमेव जयते

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तादीराने बाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन के उत्तर में वकील अप्रार्थी नं.1 व अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने अपने-अपने जवाब प्रार्थना-पत्र टी.आई. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा०पत्र टी.आई. खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं जवाब प्रार्थनापत्र अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का अवलोकन किया गया। चूंकि अप्रार्थी नं.1 ने अप्रार्थी सं. 2 व 3 के यहाँ घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन किया जिसका एस्टीमेट बनवाकर मांगपत्र राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर पोल गाड़े जा चुके है। विद्युत कनेक्शन आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है तथा विवादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी द्वारा कोई काम खोल नहीं करवाये गये है तथा न ही प्रार्थी विवादित आराजी पर मकान बनाकर आबाद है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। मात्र अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर विद्युत कनेक्शन न लिये जाने को रोकने की गरज से प्रार्थी द्वारा स्थगनादेश लिया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/8/18

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner